गोपालराम V/s नारायणाराम 108/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/9/20	पक्षकारान उप० बहस पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 17/9/20 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	2½
17/9/20	पक्षकारान उप० वकील वादी का बयान मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 108/2019

वादीगण –

1. गोपालराम पुत्र नारायणराम उम्र 40 वर्ष
2. कैलाश टाक पुत्र नारायणराम उम्र 38 वर्ष
   जातियान माली निवासीगण जायल तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. नारायणराम पुत्र उमाराम उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी जायल तहसील जायल जिला नागौर।
2. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथसिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण
2. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक :–** 17/09/2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुश्तैनी बडेर के खेत खसरा नं. 1413 रकबा 4.01 बीघा अर्थात् 0.6556 हैक्टेयर, ख.न. 1521 रकबा 0.09 बीघा, ख.न. 2713/2 रकबा 15.01 बीघा अर्थात् 2.4362 हैक्टेयर, ख.न. 2774/50 रकबा 5.09 बीघा अर्थात् 0.8822 हैक्टेयर के रूप में मौजा जायल तहसील जायल मे स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने माफिक

सहायक कलक्टर
(... अधि.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

राजीनामा अनुसार बंटवारा कर काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावें तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने वकालातनामा व ईकबालिया जवाब दावा पेश किया। इसी प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 का इकबालिया जवाब व प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में शपथ पत्र गवाह गोपालराम का शपथ पत्र पेश किये गये जिस पर गवाह के बयान कलमबद्ध किये गये। जो शामिल पत्रावली है। दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम जायल तहसील जायल संवत् 2069–2072 खाता संख्या 825/678खसरा नं. 1413, 1521, 2713/2, 2774/50 कुल रकबा 25 बीघा प्रदर्श– 1 कराई, जो कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार सम्पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जायल के रहन दर्ज है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में इकबालिया जवाब तथा राजीनामें वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब व राजीनामें पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वाद में संयाजित है तथा हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार का अनुतोष चाहा है। परन्तु मुतदाविया खेताय की भूमि वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जायल के रहन दर्ज है, इसलिए रहन मुक्त होने पर उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही तहसीलदार जायल

सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

द्वारा सम्पादित किये जाने के आदेश के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये न्यायिक दृष्टिकोण से तौर पर वादग्रस्त खेताय के संबंध में प्रस्तुत वाद माफिक राजीनामा स्वीकार जाकर डिक्री किया जाना न्यायालय मत में उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

– : : आदेश : –

यत् वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. वादीगण गोपालराम व केलाश टाक को प्रतिवादी संख्या 1 नारायणराम के साथ ग्राम जायल के खसरा 1413 रकबा 4.01 बीघा अर्थात् 0.6556 हैक्टेयर, ख.न. 1521 रकबा 0.09 बीघा, ख.न. 2713/2 रकबा 15.01 बीघा अर्थात् 2.4362 हैक्टेयर, ख.न. 2774/50 रकबा 5.09 बीघा अर्थात् 0.8822 हैक्टेयर घोषित किया जाता है।
2. मुतदाविया खेताय की भूमि का संबंधित बैंक से रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही तहसीलदार जायल सम्पादित करे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार हो। तद्नुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

17/09/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 17/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

17/09/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 108/2019
गोपालराम बनाम नारायणराम वगैरह

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 108/2019

वादीगण :–
1. गोपालराम पुत्र नारायणराम उम्र 40 वर्ष
2. कैलाश टाक पुत्र नारायणराम उम्र 38 वर्ष
जातियान माली निवासीगण जायल तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. नारायणराम पुत्र उमाराम उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी जायल तहसील जायल जिला नागौर।
2. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
1. श्री दशरथसिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण
2. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री दशरथसिंह अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. वादीगण गोपालराम व केलाश टाक को प्रतिवादी संख्या 1 नारायणराम के साथ ग्राम जायल के खसरा 1413 रकबा 4.01 बीघा अर्थात् 0.6556 हैक्टेयर, ख.न. 1521 रकबा 0.09 बीघा, ख.न. 2713/2 रकबा 15.01 बीघा अर्थात् 2.4362 हैक्टेयर, ख.न. 2774/50 रकबा 5.09 बीघा अर्थात् 0.8822 हैक्टेयर घोषित किया जाता है।
2. मुतदाविया खेताय की भूमि का संबंधित बैंक से रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही तहसीलदार जायल सम्पादित करे।

17/09/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 108 / 2019

गोपालराम बनाम नारायणराम वगैरह

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/09/2020 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			द०स० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

17/09/2020

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर

उ.खं. जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner